शौच को गये अधेड़ की तालाब में डूबने से मौत

सिधवलिया। महम्मदपुर थाना क्षेत्र के बंजरिया गांव में बुधवार की अहले सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। शौच के लिए गए एक अधेड़ व्यक्ति की पैर फिसलने से तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव निवासी मेघनाथ साह के रूप में हुई है। घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। पत्नी दुर्गावती देवी सहित स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि मेघनाथ साह बुधवार की अहले सुबह शौच के लिए घर से निकले थे। काफी देर तक जब वे घर नहीं लौटे तो स्वजनों को चिंता हुई। स्वजन उन्हें खोजने के लिए निकले तो तालाब के किनारे उनकी चप्पल पड़ी मिली। अनहोनी की आशंका से स्वजनों के होश उड़ गए। उन्होंने शोर मचाकर ग्रामीणों को बुलाया।ग्रामीणों ने तत्काल तालाब में उनकी खोजबीन शुरू की। काफी मशक्कत के बाद उनका शव तालाब से बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। सूचना पर महम्मदपुर थाने की पुलिस और अंचल पदाधिकारी अभिषेक कुमार मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया है।

दो दिवसीय किसान मेले का शुभारंभ

गोपालगंज। जिला कृषि कार्यालय परिसर में आत्मा,गोपालगंज के सौजन्य से आयोजित दो दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन बुधवार को हथुआ विधायक रामसेवक सिंह,बरौली विधायक मंजीत कुमार सिंह एवं जिलाधिकारी समीर सौरभ ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस दौरान विधायकों ने किसानों की समस्याओं और उनके हितों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। वहीं,जिलाधिकारी ने किसानों को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की सलाह दी। उन्होंने कम लागत में अधिक उत्पादन और मुनाफा प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। मेले में कृषि यंत्र विक्रेताओं, जीविका,कृषि विज्ञान केंद्र,चीनी मिल तथा कृषि एवं संबद्ध विभागों की ओर से कुल 40 स्टॉल लगाए गए हैं। इनके माध्यम से किसानों को विभिन्न योजनाओं,आधुनिक कृषि उपकरणों और उन्नत खेती की जानकारी दी गई। मेले में समेकित कृषि प्रणाली का जीवंत मॉडल आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। इसके निर्माण में आत्मा के सहायक तकनीकी प्रबंधक विनय कुमार एवं प्रखंड तकनीकी प्रबंधक सचिन कुमार गौतम की अहम भूमिका रही। जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक आत्मा ललन कुमार सुमन ने कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। वहीं,उप परियोजना निदेशक विवेक गुप्ता ने आत्मा योजना,उप निदेशक कृषि अभियंत्रण प्रियंका कुमारी ने कृषि यांत्रिकीकरण योजना तथा जिला उद्यान पदाधिकारी आकाश कुमार ने उद्यानिकी फसलों से संबंधित योजनाओं पर प्रकाश डाला। इसके अलावा पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने पशुओं के टीकाकरण,रोगों से बचाव और मत्स्य पालन की योजनाओं की जानकारी दी। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी किसानों को जागरूक किया गया। मौके पर विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी,कृषि समन्वयक, तकनीकी प्रबंधक,किसान सलाहकार सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

शराब के साथ किशोर निरुद्ध

कुचायकोट। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेकपोस्ट के पास उत्पाद विभाग की टीम ने जांच के दौरान 14.6 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया है।पकड़ा गया किशोर मोतिहारी जिले का निवासी बताया जा रहा है।मिली जानकारी के अनुसार, उत्पाद विभाग की टीम बलथरी चेकपोस्ट पर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान एक बस से उतरकर एक किशोर संदिग्ध स्थिति में भागने लगा। उसकी गतिविधियों पर संदेह होने पर टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 14.6 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई। इसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने किशोर को निरुद्ध कर लिया।आवश्यक पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

हमले के मामले में दो महिलाओं समेत तीन गिरफ्तार

कुचायकोट। विशंभरपुर पूर्व से चले आ रहे विवाद को लेकर दो लोगों पर जानलेवा हमला करने के मामले में विशंभरपुर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो महिलाओं समेत तीन नामजद आरोपितों को गिरफ्तार किया है।गिरफ्तार आरोपितों में राजकुमार महतो भी शामिल है। पुलिस ने आवश्यक पूछताछ के बाद सभी आरोपितों को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया।मिली जानकारी के अनुसार, बीते तीन सितंबर को तिवारी मटिहनिया गांव में पूर्व के विवाद को लेकर कुछ लोगों ने आकाश कुमार समेत दो लोगों पर हमला कर दिया था।इस दौरान दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे।घटना के बाद पीड़ित पक्ष की ओर से थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी क्रम में मंगलवार की शाम पुलिस ने तिवारी मटिहनिया गांव में छापेमारी कर मामले में नामजद तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

महिला पर बांस से हमला

कटेया। कटेया थाना क्षेत्र के अहिरौली वार्ड संख्या 14 में बच्चों को खोजने गई एक महिला के साथ मारपीट कर घायल करने का मामला सामने आया है।इस मामले में घायल महिला सुरेंद्र मंडल की पत्नी अकली देवी ने सदर अस्पताल गोपालगंज के इमरजेंसी वार्ड में पुलिस पदाधिकारी के समक्ष बयान दर्ज कराया है। पीड़िता ने बताया कि 29 सितंबर की शाम करीब 7-30 बजे वह अपने बच्चों को खोजने नहर की तरफ गई थी।वहां कुछ लोग मछली मार रहे थे।उनसे बच्चों के बारे में पूछा तो वे गाली-गलौज करने लगे।विरोध करने पर कोईसा खुर्द निवासी गुड्डू खटीक ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए बांस से दो-तीन बार हमला कर दिया।महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे,जिन्हें देखकर आरोपित फरार हो गया। पीड़िता के अनुसार सूचना पर पहुंची डायल 112 की पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया।

घर में चोरी का पुलिस ने किया खुलासा लैपटॉप और तीनों मोबाइल बरामद

कुचायकोट।कुचायकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत घर से मोबाइल फोन और लैपटॉप चोरी करने के मामले में कुचायकोट पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी की घटना में शामिल एक आरोपित को गिरफ्तार करने के साथ ही चोरी गए लैपटॉप और तीनों मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। बरामद सामान मलही गांव के समीप एक सुनसान स्थान पर झाड़ियों में छिपाकर रखे गए थे। गिरफ्तार आरोपित की पहचान मलही गांव निवासी तूफी खान उर्फ कल्लू खान के रूप में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार,बीते 29 अक्टूबर को कुचायकोट थाना क्षेत्र के मलही मुर्गियां गांव स्थित एक घर से तीन मोबाइल फोन और एक लैपटॉप चोरी कर लिए गए थे। इस मामले में 31 अक्टूबर को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। चोरी की घटना के उद्भेदन के लिए थानाध्यक्ष के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी अनुसंधान और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पर मलही गांव के मलकी मोड़ से आगे एक सुनसान स्थान पर झाड़ियों में छिपाकर रखे गए लैपटॉप और तीनों मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार,पूछताछ में गिरफ्तार आरोपित ने घटना में शामिल अन्य सहयोगियों के नाम और पते भी बताए हैं। पुलिस इन जानकारियों का सत्यापन कर रही है। f

बिहार सरकार

कार्यालय, कार्यपालक अभियन्ता
पश्चिमी तटबंध प्रमण्डल, निर्मली, सुपौल
निविदा आमंत्रण सूचना संख्या– 01/2026-27
(केवल ई–टेन्डर पद्धति के अनुसार वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

पत्रांक–1253

1. कार्य का विवरण :–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रू0 में)	अग्रधन की राशि (लाख रू0 में) (ऑनलाईन अथवा फिजिकल / मैनुअ लमोड में भुगतेय) (लाख में)	परिमाण–विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑनलाईन मोड में भुगतेय) (रू0 में)	बेल्ट्रॉन को देय "बीड प्रोसेसिंग फी" (अप्रत्यर्पणीय) केवल ऑनलाईन मोड में भुगतेय (रू0 में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1.	पश्चिमी तटबंध प्रमण्डल, निर्मली, सुपौल के अन्तर्गत निर्मली घोघरडीहा लिंक रोड़ का कि0मी0 0.00 से कि0मी0 3.09 तक निर्माण कार्य।	₹712.68	₹14.26	₹10000.00	₹11800.00	31.10.2027
2.	पश्चिमी तटबंध प्रमण्डल, निर्मली, सुपौल के अन्तर्गत भारदा के नीचे तिलयुगा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य।	₹1465.27	₹24.66	₹10000.00	₹11800.00	31.10.2027

2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि :- दिनांक–30.10.2026
3. निविदा कागजात डाउनलोड करने एवं निविदा अपलोड करने की तिथि एवं समय :- दिनांक–18.11.2026 के 03:30 बजे अपराह्न से दिनांक–28.11.2026 के 3:00 बजे अपराह्न तक (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
4. प्री बिड मीटिंग का समय, स्थान एवं तिथि :- दिनांक–21.11.2026 के 03:30 अपराह्न मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, वीरपुर के कार्यालय।
5. तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक–28.11.2026 समय 04:00 P.M (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
6. वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय :- सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में घोषित की जायेगी। (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
7. निविदा खोलने का स्थान :- www.eproc2.bihar.gov.in पर।
8. निविदा की वैधता की अवधि :- 120 दिन
9. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली, सुपौल।
10. ई–टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को पंजीकृत होना होगा, जिसके लिए उन्हें उपयोग कर्त्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) अंकीय हस्ताक्षर (Digital Signature) आवश्यक होगा। यह उन्हें वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in डाउन लोड करने / ई–टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।
11. निविदा मात्र वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर डाउनलोड एवं अपलोड किया जा सकता है।

विस्तृत जानकारी **www.state.bihar.gov.in/prdbihar** से प्राप्त की जा सकती है।

PR. No. 014749 (WRD) 2026-27

कार्यपालक अभियंता,
पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली, सुपौल
मो0–06473357377

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Limited
3rd floor, Swasthya Bhawan, Behind IGIMS, Sheikhpura
Adjacent to State Health Society, Patna 800014,
Phone/Fax: +91612 2283287,+ 91612 2283288

Govt. of Bihar

(Notice Inviting E-Bids)

Tender for the Procurement, Rate Contract and Supply of Medical Equipment for different Govt. Health Institutions of Bihar.
Notice Inviting Tender No.-BMSICL/2026-27/ME-518Dated: November 2026
(Only through E- Tender on website:-https://eproc2.bihar.gov.in)

The Bihar Medical Services and Infrastructure Corporation Limited, Patna invites e-bids from interested parties for Procurement, Rate Contract and supply of Medical Equipmentfor different Government Health Institutions of Bihar as listed below:-

1	Cardiotocography (CTG) Machine (AI Enabled)

Tender Schedule

Tender Reference No.	BMSICL/2026-27/ME-518
Date of Pre- Bid Meeting	12th November 2026 at 15:00 Hrs in Conference hall of BMSICL, 3rd Floor, Swasthya Bhawan, IGIMS Campus, Sheikhpura, Patna (Bihar) All Pre-bid queries to be submitted through e-mail onbmsicltenderequipment@gmail.com Upto 14th November 2026 till 17:00 Hrs. (Note:- No Pre-bid queries would be entertained after the above mentioned dead line)
Last date and time of submission of online bids	08th December2026 upto 17:00 Hrs.
Last date and time for submission of original documents of EMD.	09th December2026 upto 14:00 Hrs.
Date, Time and Place of opening of Technical Bid	09th December 2026 (at 15:00 Hrs.) on the website of https://eproc2.bihar.gov.in the office of BMSICL
Date and time of opening of financial Bids	To be announced later on https://eproc2.bihar.gov.in
Validity of Tender	180 Days
Cost of the tender document	Rs.11,800/- (Eleven Thousand Eight Hundred Rupees only) Non-refundable.
Tender Processing Fee	Rs 1180/- (on the website of https://eproc2.bihar.gov.in)

1. To participate in E-Tendering the tenderer will have to be registered with E-Tendering service provider. For this help desk – mjunction services limited RJ complex, 2nd Floor, Canara Bank, Campus, khajpura, Ashiana Road, P.S –Shastri Nagar, Patna-800014, Toll Free No.-18005726571, Email-ID: can be approached.
2. Any queries and questions regarding the tender should be addressed to MD BMSICL (either through letter or through e-mail:- and/or bmsicl.equipment@gmail.com or contact no. 0612-2219634/35) up to 7 days before of closing of online bid registration.
3. All communication, addendum/corrigendum related to this tender will be issued on the website of
4. Managing Director, BMSICL reserves the right to reject any or all the applications without assigning any reason.

Note- Changes suggested by prospective bidder in Pre-Bid meeting may be incorporated in the tender document at the sole discretion of the tender inviting authority and for which corrigendum will be issued separately and uploaded on the website &www.bmsicl.gov.in

PR- 014798 (B & C) 2026-27

GM (Procurement)
BMSICL, Patna

For further details please visit : www.state.bihar.gov.in/prdbihar

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार

दीपावली और छठ पर सीवान शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध

सीवान। दीपावली एवं छठ महापर्व के मद्देनजर बाजारों में बढ़ती भीड़ और आम नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए सिवान सदर के अनुमंडल दंडाधिकारी ने शहर में बड़े एवं भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह व्यवस्था 3 नवंबर 2026 से लागू कर दी गई है।जारी आदेश के अनुसार, 3 नवंबर से सिवान शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक बड़े एवं भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, छठ महापर्व के अवसर पर 15 नवंबर को अपराह्न एक बजे से 16 नवंबर को पूर्वाह्न 10 बजे तक शहर में बड़े एवं भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। हालांकि, इस प्रतिबंध से एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन, पुलिस एवं प्रशासनिक गश्ती वाहन, बिजली की आपातकालीन सेवा तथा पेयजल आपूर्ति से जुड़े वाहनों को मुक्त रखा गया है। अनुमंडल दंडाधिकारी ने सिवान नगर, महादेवा, मुफस्सिल, सराय एवं यातायात थानाध्यक्षों को आदेश का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। वहीं, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को संबंधित थानाध्यक्षों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक स्थानों पर बैरिकेडिंग कराने को कहा गया है।आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों एवं संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य त्योहारों के दौरान शहर में जाम की समस्या रोकना और श्रद्धालुओं एवं आम नागरिकों का आवागमन सुरक्षित तथा सुगम बनाए रखना है।

प्रथम पृष्ठ का शेष

नीतीश के सपने को तेजी से...

उनके सपनों को आगे बढ़ाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने त्योहारों में बिहार आने वाले लाखों यात्रियों की परेशानी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि रेलवे मंत्री से मुलाकात कर छठ और दिवाली के दौरान बिहार के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का आग्रह किया गया है।सम्राट चौधरी के मुताबिक, पिछले साल 10 हजार से अधिक जोड़ी ट्रेनें चलाई गई थीं। इस बार इससे भी अधिक ट्रेनें चलाने की मांग की गई है, ताकि दूसरे राज्यों में रहने वाले बिहार के लोग आसानी से अपने घर पहुंच सकें और छठ महापर्व अपने परिवार के साथ मना सकें।

बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने की दिशा में काम हो रहा है। अब मुजफ्फरपुर और दरभंगा में भी ऐसी व्यवस्था विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही इन प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाएगी। सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार में करीब 13 हजार एकड़ जमीन उद्योगों के लिए उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब तक एक हजार से अधिक उद्योगों को जमीन दी जा चुकी है। सरकार आगे भी निवेशकों को बिहार से जोड़ने का काम करेगी।

मुख्यमंत्री ने बिहार में डेटा सेंटर परियोजना को भी बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में सरकार बनने के बाद इसके लिए जमीन उपलब्ध कराने की पहल की गई थी। पटना में संबंधित परियोजना का उद्घाटन भी किया गया और अब डेटा सेंटर का काम शुरू हो चुका है।उनका कहना है कि बिहार में उद्योग और तकनीकी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

औद्योगिक कॉरिडोर और पर्यटन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात की। उन्होंने बिहार में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और पर्यटन परियोजना के लिए जल्द पर्यावरणीय मंजूरी देने का आग्रह किया।सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन की व्यवस्था दी और संगठित अपराध को खत्म करने की दिशा में काम किया। उनकी सरकार उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा रही है।

मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नीतीश कुमार के सहयोग से बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अब इन घोषणाओं को जमीन पर उतारना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी।

सम्राट चौधरी ने बताया कि मुजफ्फरपुर और दरभंगा में भी ऐसी व्यवस्था विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया है. उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार से इस पर सहमति मिलेगी. उन्होंने कहा कि बिहार में अब तक एक हजार से अधिक उद्योगों को जमीन दी जा चुकी है. राज्य में डाटा सेंटर भी बनकर तैयार हो गया है. सरकार का प्रयास है कि बिहार में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा हों.

नीतीश से मिलने पहुंचे...

दी. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि वह तीन दिनों तक दिल्ली में थे. इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेताओं और केंद्र सरकार के मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई. पटना लौटने के बाद वह सीधे नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। सम्राट चौधरी ने कहा कि वह पूर्व मुख्यमंत्री को बधाई देने आए थे. प्रधानमंत्री की ओर से भी उन्हें बधाई दी गई है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में गाद नीति का मुद्दा लगातार उठाया था. अब उनकी सरकार इस दिशा में काम कर रही है. उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है.

सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. केंद्र सरकार के साथ विभिन्न नदियों से करीब चार लाख घन मीटर गाद निकालने को लेकर समझौता हुआ है.

उन्होंने बताया कि पथ परिवहन विभाग के माध्यम से भी समझौता किया गया है. इससे बिहार में बाढ़ की स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी. नदियों से गाद निकालने का फायदा किसानों को भी होगा. खेतों की मिट्टी के कटाव से बचाव हो सकेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार के सुशासन और विकास के कामों को उनकी सरकार लगातार आगे बढ़ा रही है. दिल्ली दौरे के दौरान सम्राट चौधरी ने रेल मंत्री से भी मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने आगामी छठ महापर्व को लेकर बिहार के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का आग्रह किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल 10 हजार से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थीं. इस बार उन्होंने इससे भी ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाने का अनुरोध किया है. बिहार में छठ के दौरान बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों से अपने घर लौटते हैं. ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनों की जरूरत है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या भगवान श्रीराम की जन्मस्थली है. वहीं, सीतामढ़ी माता सीता की जन्मस्थली है. दोनों धार्मिक स्थलों को रेल मार्ग से सीधे जोड़ने की जरूरत है. इससे श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी.मुख्यमंत्री ने बिहार में औद्योगिक विकास को लेकर भी कई जानकारियां दीं. उन्होंने बताया कि गया में आईएमसी के तहत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है. इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से बातचीत हुई है.

नशे के कारोबार में...

फिलहाल सहायक पुलिस अधीक्षक फुलवारीशरीफ नारायण उपाध्याय पूरे मामले की जांच कर रहे हैं. कुछ स्थानीय लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि नशे के कारोबार से जुड़े इस पूरे घटनाक्रम में किन-किन लोगों की भूमिका रही है और कथित लेन-देन में कौन-कौन शामिल था.

75% की आर्मी में होगी...

अत्याचार हो या अगली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए कोई खतरा हम सख्त और निर्णायक कदम उठाएंगे. इसमें मौजूदा कानूनों का पूरी तरह से इस्तेमाल करना, जरूरत पड़ने पर नए कानून बनाना और कानूनों को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करना शामिल है.

मुजफ्फरपुर में 1 करोड़ की...

जा रही है। सूचना के बाद एएसआई नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने बेला फेज-2 के नारायणपुर रोड में छापेमारी की, जहां सड़क किनारे एक संदिग्ध ट्रक खड़ा मिला। ट्रक चालक भी मौके पर मौजूद था।

शुरुआत में चालक ने ट्रक में ट्रांसपोर्ट का सामान होने की बात कही। हालांकि, सख्ती से पूछताछ करने पर उसने ट्रक में शराब होने की जानकारी दी। इसके बाद ट्रक का पिछला हिस्सा खुलवाया गया। अंदर कागज और कार्टन के टुकड़ों से भरी बोरियां रखी थीं। जब इन बोरियों को हटाया गया तो नीचे छिपाकर रखे गए शराब के कार्टन देखकर उत्पाद विभाग की टीम भी हैरान रह गई। गिरफ्तार चालक की पहचान पंजाब के फतेहगढ़ जिले के खमानोल निवासी मनप्रीत सिंह के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने बताया कि वह पंजाब से शराब की खेप लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचा था। यहां अलग-अलग जगहों पर शराब अनलोड की जानी थी। चालक के अनुसार, उसे बेला में ट्रक रोकने का निर्देश दिया गया था, जहां मुख्य शराब कारोबारी पहुंचकर ट्रक को अपने कब्जे में लेने वाला था। एक खेप पहुंचाने के बदले उसे 10 हजार रुपये देने की बात तय हुई थी।

उत्पाद इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार राम ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पंजाब नंबर के ट्रक को पकड़ा गया है। ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई है, जिसका मिलान कराया जा रहा है। चालक से पूछताछ कर स्थानीय शराब तस्करों की पहचान की जा रही है। गिरफ्तार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। वहीं, शराब की खेप मंगाने वाले मुख्य धंधेबाज और स्थानीय तस्करों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए आगे की कार्रवाई जारी है।

50 संस्कृत स्कूल बनेंगे...

सामाजिक दायित्व के माध्यम से अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब स्थापित की जायेगी। इन लैबों में आधुनिक कंप्यूटर एवं आवश्यक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। इससे अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा, डिजिटल तकनीक और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान से जोड़ने का अवसर मिलेगा। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा ने बताया कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा राज्य में 50 मॉडल संस्कृत विद्यालय विकसित करने की परिकल्पना की गयी है। इस दिशा में सीएसआर के माध्यम से छह विद्यालयों में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब की स्थापना पहला महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में इस अभियान को और व्यापक स्वरूप दिया जायेगा तथा विभिन्न सरकारी संस्थानों, केंद्रीय उपक्रमों एवं कॉर्पोरेट संस्थाओं के सहयोग से संस्कृत विद्यालयों के शैक्षणिक वातावरण को आधुनिक बनाया जायेगा। ध्यक्ष ने कहा कि यह पहल न केवल संस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए नये अवसरों के द्वार खोलेगी, बल्कि बिहार में संस्कृत शिक्षा के आधुनिकीकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मॉडल विद्यालयों की स्थापना के संकल्प को भी नयी गति प्रदान करेगी।

एमएलसी चुनाव में हार के...

संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा करेंगे. इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे. चुनाव में उतरे सभी उम्मीदवारों को बैठक में बुलाया गया है. संबंधित जिलों के अध्यक्षों को भी अपनी रिपोर्ट के साथ शामिल होने को कहा गया है.पार्टी नेतृत्व चुनाव के नतीजों को गंभीरता से ले रहा है. बैठक में हर सीट पर पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा होगी. इसके साथ ही संगठन की भूमिका और चुनाव प्रचार के दौरान सामने आई कमियों पर भी चर्चा की जाएगी. विधान परिषद चुनाव में तीन सीटों पर मिली हार के बाद जेडीयू अब अंदरूनी कमियों का पता लगाना चाहती है. पार्टी यह जानने की कोशिश करेगी कि किन इलाकों में संगठन ने अपेक्षा के मुताबिक काम नहीं किया. चुनावी रणनीति में कहां चूक हुई और उम्मीदवारों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा.जिला अध्यक्षों की रिपोर्ट इस बैठक में अहम हो सकती है. उनके जरिए स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता, चुनावी माहौल और सहयोगी दलों के साथ तालमेल की जानकारी ली जाएगी. चुनाव के दौरान जिन नेताओं की भूमिका पर सवाल उठे हैं, उनकी जिम्मेदारी पर भी चर्चा होने की संभावना है.सारण शिक्षक और तिरहुत स्नातक सीट पर जेडीयू उम्मीदवारों की हार पार्टी के लिए बड़ा सवाल है. इन दोनों सीटों पर चुनावी नतीजों को लेकर पार्टी के भीतर मंथन हो सकता है.

चुनाव के दौरान जेडीयू उम्मीदवारों की ओर से सहयोगी दलों के समर्थन को लेकर भी सवाल उठाए गए थे. ऐसे में बैठक में गठबंधन के भीतर तालमेल की स्थिति पर चर्चा हो सकती है. पार्टी नेतृत्व यह समझना चाहेगा कि सहयोगी दलों के साथ समन्वय की कमी का नतीजों पर कितना असर पड़ा. अनंत सिंह ने जेडीयू की बैठक में भी नीरज कुमार के लिए वोट नहीं मांगने की बात कही थी. पार्टी ने इसे पार्टी विरोधी गतिविधि मानते हुए उन्हें छह साल के लिए निष्कासित कर दिया था. उनकी पत्नी नीलम देवी की सदस्यता भी वापस ले ली गई.अब समीक्षा बैठक में पटना स्नातक सीट के चुनावी घटनाक्रम पर भी चर्चा हो सकती है. पार्टी यह भी समझने की कोशिश करेगी कि अंदरूनी विरोध का चुनाव पर क्या असर पड़ा.विधान परिषद चुनाव के नतीजों ने जेडीयू के सामने संगठन और चुनावी रणनीति को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. पटना स्नातक सीट की जीत के बावजूद तीन सीटों पर मिली हार पार्टी के लिए चिंता का विषय है. ऐसे में 5 नवंबर की बैठक को काफी अहम माना जा रहा है. इस दौरान सिर्फ हार-जीत के आंकड़ों पर ही नहीं, बल्कि भविष्य में चुनावी चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है.

पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर के...

एसवीयू की टीम विभिन्न परिसरों में तलाशी और जांच की कार्रवाई कर रही है। छापेमारी पूरी होने के बाद ही बरामद नकदी, दस्तावेजों और अन्य संपत्तियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

60000 पीडीएस दुकानों का डिजिटल...

जा रहा है. बताया जा रहा है कि राशन दुकानों पर पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ई-पास) मशीनों को आधार आधारित बायोमीट्रिक और ओटीपी प्रमाणीकरण से जोड़े जाने की तैयारी है.

दो से ज्यादा बच्चे होने पर...

मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने की सिफारिश की है. इस मामले में तीन जजों की पीठ ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत दो से अधिक जीवित बच्चे होने पर स्थानीय निकायों का चुनाव लड़ने से उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने के प्रावधान को संवैधानिक रूप से सही माना था. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत बताई है. दरअसल, साल 2003 में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने %जावेद बनाम हरियाणा राज्य% मामले में दो बच्चों की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की थी. उस समय अदालत ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के उस प्रावधान की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी थी, जिसके तहत दो से अधिक जीवित बच्चे होने पर व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता था. इस फैसले के बाद कई राज्यों में इसी तरह के प्रावधान लागू रहे. अब मौजूदा पीठ का मानना है कि बदलती जनसांख्यिकीय परिस्थितियों में उस फैसले के आधार की फिर से समीक्षा होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भारत की कुल प्रजनन दर यानी कुल प्रजनन दर में आई गिरावट को भी महत्वपूर्ण आधार बनाया. अदालत के मुताबिक, साल 2003 में भारत की कुल प्रजनन दर 3 थी, जो अब घटकर 1.9 रह गई है। जबकि 2.1 की प्रजनन दर को रिप्लेसमेंट रेट यानी प्रतिस्थापन स्तर माना जाता है. इसका मतलब है कि इस दर पर एक पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी से जनसंख्या के स्तर पर खुद को प्रतिस्थापित कर सकती है.

अदालत ने कहा कि भारत की प्रजनन दर अब प्रतिस्थापन स्तर से नीचे पहुंच चुकी है. हालांकि, देश की कुल आबादी में अभी गिरावट नहीं आई है, लेकिन प्रजनन दर का लगातार कम होना भविष्य में बड़े जनसांख्यिकीय बदलाव का कारण बन सकता है. इससे बुजुर्गों की आबादी बढ़ने और कामकाजी उम्र के लोगों की हिस्सेदारी घटने की आशंका है. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, इन बदलावों को नजरअंदाज करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने दो बच्चों से अधिक होने पर चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानूनों के पीछे दिए गए तर्कों पर भी सवाल उठाए. अदालत ने कहा कि ऐसे कानून लागू रहने से नागरिकों का एक पूरा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व से बाहर हो जाता है, जबकि दो से अधिक बच्चे होने का किसी व्यक्ति की सार्वजनिक पद संभालने की क्षमता से सीधा संबंध नहीं है. पीठ ने यह भी कहा कि ऐसे प्रतिबंध लोगों को बच्चे पैदा करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के बीच अनुचित चुनाव करने के लिए मजबूर करते हैं. अदालत के मुताबिक, यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले प्रजनन स्वायत्तता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला मामला भी है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की काकोड़ा ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच मंगला भीमराव इंगले को भी राहत दी है. उनके तीसरे बच्चे के जन्म के आधार पर महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 की धारा 14(1)(द्ध-1) के तहत अयोग्य घोषित किया गया था. इस कानून में 13 सितंबर 2000 से संशोधन लागू होने के बाद दो से अधिक बच्चे होने पर पंचायत सदस्य या सरपंच के पद के लिए अयोग्यता का प्रावधान किया गया था. मंगला भीमराव ने अपनी अयोग्यता को अदालत में चुनौती दी थी. मंगला भीमराव के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद महाराष्ट्र में संबंधित अधिकारियों ने अयोग्यता की कार्रवाई शुरू की थी. इसके बाद मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा, जहां 5 अगस्त 2025 को हाईकोर्ट ने उनकी अयोग्यता बरकरार रखी थी. इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अयोग्यता रद्द कर दी है और इस मामले में दो बच्चों की नीति से जुड़े व्यापक कानूनी सवाल को बड़ी बेंच के विचार के लिए भेजा है.

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से बनाए गए इन कानूनों की प्रासंगिकता पर बदलती परिस्थितियों के अनुसार विचार करना जरूरी है. पीठ ने कहा कि भारत की प्रजनन दर में आई गिरावट को देखते हुए दो से अधिक बच्चे होने पर लोगों को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने वाले प्रावधानों की समीक्षा होनी चाहिए. इसी वजह से अदालत ने 2003 के %जावेद बनाम हरियाणा राज्य% फैसले को बड़ी बेंच के पास भेजने की सिफारिश की है. अब इस मामले में बड़ी बेंच इन कानूनों की संवैधानिक वैधता और उनके मौजूदा औचित्य पर विचार करेगी.

स्वत्वाधिकारी : ज्ञानमंडल प्रा. लिमिटेड के लिए **शिवशंकर दूबे** द्वारा शाश्वत प्रिण्टर्स यन्त्रालय, मजहरुल हक पथ, पटना से मुद्रित तथा शाश्वत प्रिण्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, मजहरुल हक पथ, पटना-८००००१ से प्रकाशित

सम्पादक : शार्दूल विक्रम गुप्त
प्रबंध सम्पादक एवं व्यवस्थापक : **शशि शुक्ला**
स्थानीय सम्पादक : **दीपक पांडेय**

वाराणसी : संत कबीर मार्ग, **गोरखपुर :** बैंक रोड, **प्रयागराज :** 3, लीडर रोड, **कानपुर :** बासमंडी, **झांसी :** झोंकनबाग, **लखनऊ :** 1, जांपलिंग रोड, **आगरा :** महात्मा गांधी रोड, **बरेली :** रोड नं. 3, परसाखेड़ा, **रांची :** नामकुम इंडस्ट्रीयल एरिया, **जमशेदपुर :** न्यू काली माटी रोड, साकची

वर्ष-३१ संख्या-०९७३९३४
आर.एन.आई. रजिस्ट्रेशन सं. ३३४४३/७९

पीबीएक्स : २२३५०७०-७१, ७२
स्थानीय समाचार डेस्क : २२३५०७०
इ-मेल : **patnaaj@gmail.com**
पटना जीपीओ रजिस्ट्रेशन संख्या :
R-10/NP-16/2019-22

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचार के चयन के लिए **स्थानीय सम्पादक** जिम्मेदार होंगे एवं समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन होगा।